सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955

(1955 का अधिनियम संख्यांक 22)

[8 मई, 1955]

[“अस्पृश्यता” का प्रचार और आचरण करने, और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने, और उससे सम्बन्धित बातों के लिए दण्ड विहित करने के लिए अधिनियम

(xxviii) PROTECTION OF CIVIL RIGHTS ACT, 1955

सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955

(1955 का अधिनियम संख्यांक 22)

(8 मई, 1955)

["अस्पृश्यता" का प्रचार और आचरण करने, और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने, और उससे सम्बन्धित बातों के लिए दण्ड विहित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियम होः–	
1. (1) यह अधिनियम [सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम] 1955 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पुर्ण भारत पर है। (3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसुचना द्वारा नियत करे।	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– [(क) 'सिविल अधिकार' से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 'अस्पृश्यता' का अन्त कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत होता है,, [(कक) 'होटल' के अन्तर्गत जलपान–गृह, भोजनालय, बासा, काफी हाउस और काफे भी है, , [(ख) 'स्थान' के अन्तर्गत गृह भवन और अन्य संरचना तथा परिसर है और उसके अन्तर्गत तम्बू, यान और जलयान भी है,, ;(ग) 'लोक मनोरंजन–स्थान' के अन्तर्गत कोई भी ऐसा स्थान है जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है या मनोरंजन किया जाता है। स्पष्टीकरण–'मनोरंजन' के अन्तर्गत कोई प्रदर्शनी, तमाशा, खेलकूद,	परिभाषाएं

क्रीडा और किसी अन्य प्रकार का आमोद भी है,

(घ) 'लोक पूजा–स्थान' से, चाहे जिस नाम से ज्ञात, ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो धार्मिक–पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है या जो वहां कोई धार्मिक सेवा या प्रार्थना करने के लिय, किसी धर्म को मानने वाले या किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों को साधारणतः समर्पित किया गया है या उनके द्वारा साधारणतः उपयोग में लाया जाता है, [और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैः–

(i) ऐसे किसी स्थान के साथ अनुलग्न या संलग्न सब भूमि और गौण पवित्र–स्थान,

(ii) निजी स्वामित्व का कोई पूजा–स्थान जिसका स्वामी वस्तुतः उसे लोक पूजा–स्थान के रुप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है, और

(iii) ऐसे निजी स्वामित्व वाले पूजा–स्थान से अनुलग्न ऐसी भूमि या गौण पवित्र–स्थान, जिसका स्वामी उसे लोक धार्मिक पूजा–स्थान के रुप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है,]

[(घक) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(घख) 'अनुसूचित जाति' का वही अर्थ है जो संविधन के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) में उसे दिया गया है, ,

(ड) 'दुकान' से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जहां वस्तुओं का या तो थोक या फुटकर दोनों प्रकार का विक्रय किया जाता है [और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थातः–

(i) कोई ऐसा स्थान जहां फेरीवाले या विक्रेता द्वारा या चलते फिरते यान या गाड़ी से माल का विक्रय किया जाता है,

(ii) लांड्री और बाल काटने का सेलून,

(iii) कोई अन्य स्थान जहां ग्राहकों की सेवा की जाती है।,]	
3. जो कोई किसी व्यक्ति को– (क) किसी ऐसे लोक पूजा–स्थान में प्रवेश करने से, जो उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो, जिसका व्यक्ति हो, अथवा (ख) किसी लोक पूजा–स्थान में पूजा या प्रार्थना या कोई धर्मिक सेवा अथवा किसी पुनीत तालाब, कुएं, जलस्त्राोत या [जल–सरणी, नदी या झील में स्नान या उसके जल का उपयोग या ऐसे तालाब, जल–सरणी, नदी या झील के किसी घाट पर स्नान] उसी रीति से और उसी विस्तार तक करने से, जिस रीति से और जिस विस्तार तक ऐसा करना उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय हो, जिसका वह व्यक्ति हो, 'अस्पृश्यता'– के आधर पर निवारित करेगा [वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा,। स्पष्टीकरण– इस धारा और धारा 4 के प्रायोजनों के लिए बौद्व, सिक्ख या जैन धर्म को मानने वाले व्यकित या हिन्दू धर्म के किसी भी रुप या विकास को मानने वाले व्सक्ति, जिनके अन्तर्गत वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समज और स्वामी नारायण सम्प्रदाय के अनुयायी भी हैं, हिन्दु समझे जाएंगे।	धार्मिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड।
4. जो कोई किसी व्यक्ति कि विरुद्व निम्नलिखित के संबंध में कोई निर्योग्यता 'अस्पृश्यता' के आधार पर लागू करेगा [वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारवास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा],– (i) किसी दुकान, लोक उपाहारगृह, होटल या लोक मनोरंजन–स्थान	समाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड।

में प्रवेश करना, अथवा (ii) किसी लोक उपाहारगृह, होटल, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने में जन–साधरण, या [उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए रखे गए किन्हीं बर्तनों और अन्य वस्तुओं का उपयोग करना, अथवा (iii) कोई वृति करना या उपजिविका [या किसी काम में नियोजन], अथवा (iv) ऐसी किसी नदी, जलधारा, जलस्त्रोत, कुएं, तालाब**,** हौज पानी के नल या जल के अन्य स्थान का या किसी स्नानघाट, कब्रिस्तान या श्मशान, स्वच्छता–संबंधी सुविधा, सड़क, या रास्ते या लोक अभिगम के अन्य स्थान का, जिसका उपयोग करने के लिए या जिसमें प्रवेश करने के जनता के अन्य सदस्य, या [उसके किसी विभाग के] व्यक्ति जिसका वह व्यक्ति हो, अधिकारवान हों, उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना, अथवा (v) राज्य निधियों से पुर्णतः या अंशतः पोषित पूर्त या लोक प्रयोजन के लिय उपयोग में लाए जाने वाले या जन–साधारण के या [उसके किसी विभाग के, व्यक्तियों के] जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए समर्पित स्थान का, उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना, अथवा (vi) जन–साधरण या [उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, फायदे के लिए सृष्ट किसी पूर्त न्यास के अध्नि किसी फायदे का उपभोग करना, अथवा (vii) किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना, अथवा (viii) किसी भी परिक्षेत्र में, किसी निवास–परिसर का सन्निर्माण, अर्जन या अधिभोग करना, अथवा (ix) किसी ऐसी धर्मशाला, सराय, या मुसाफिरखाने का, जो जन–साधरण या [उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के लिए, जिसका वह व्यक्ति हो, खुला हो, उपयोग ऐसे व्यक्ति के रुप में करना,	

अथवा (x) किसी समाजिक या धर्मिक रुढि, प्रथा या कर्म का अनुपालन या [किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जलूस में भाग लेना या ऐसा जलूस निकालना], अथवा (xi) आभूषणों और अंलकारों का उपयोग करना। [स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई निर्योग्यता लागू करनाय के अन्तर्गत 'अस्पृश्यता' के आधार पर विभेद करना है]	
5. जो कोई 'अस्पृश्यता' के आधार पर– (क) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा–संस्था, या किसी छात्रावास में, यदि वह अस्पताल, औषधालय, शिक्षा–संस्था या छात्रावास जन–साधरण या उसके किसी विभाग कि फायदे कि लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश करने देने से इन्कार करेगा, अथवा (ख) पुर्वोक्त सस्थंओं में से किसी में प्रवेश के पश्चात ऐसे व्यक्ति के विरुद्व कोई विभेदपुर्ण कार्य करेगा, वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक से छह मास की अवधि कि कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड।
6. जो कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निबन्धनों और शर्तों पर, जिन पर कारबार के साधरण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है या उनकी सेवा की जाती है किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उसकी सेवा करने से 'अस्पृश्यता' के आधर पर इन्कार करेगा, [वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा]।	माल बेचने या सेवा करने से इन्कार के लिए दण्ड।
7. (1) जो कोई– (क) किसी व्यक्ति को संविधन के अनुच्छेद 17 के अधीन 'अस्पृश्यता' के अन्त होने से उसको प्रोद्भूत होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से निवारित करेगा, अथवा (ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग में उत्पीड़ित करेगा,	'अस्पृश्यता' से उद्भत अन्य अपराधों के लिये दण्ड।

क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा, बाध डालेगा या बाध कारित करेगा या कारित करने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति के, कोई ऐसा अधिकार प्रयोग करने के कारण उसे उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा या उसका बहिष्कार करेगा, अथवा (ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति–वर्ग या जन–साधरण को बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्यरुपणों द्वारा या अन्यथा किसी भी रुप में 'अस्पृश्यता' का आचरण करने के लिए उदीप्त या प्रोत्साहित करेगा, [अथवा] [(घ) अनुसूचित जाति के सदस्य का 'अस्पृश्यता' के आधार पर अपमान करेगा, या अपमान करने का प्रयत्न करेगा], [वह कम से कम एक मास और अध्कि से अधिक छह मास की अवध्कि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा]। [स्पष्टीकरण 1]–किसी व्यक्ति कि बारे में समझा जाएगा कि वह अन्य व्यक्ति का वहिश्कार करता है, जह वह– (क) ऐसे अन्य व्यक्ति को कोई गृह या भूमि पट्टे पर देने से इन्कार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति को किसी गृह या भूमि के उपयोग या अध्भिोग के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से, उसके लिए भाड़े काम करने से, या उसके साथ कारबार करने से या उसकी कोई रुढ़िगत सेवा करने से या उससे कोई रुढ़िगत सेवा लेने से इन्कार करता है या उक्त बातों में से किसी को ऐसे निबन्ध्नों पर करने से इन्कार करता है, जिन पर ऐसी बातें कारबार के साधरण अनुक्रम में सामान्यतः की जाती, अथवा (ख) ऐसे समाजिक, वृतिक या कारबारी सम्बन्धों से विरत रहता है, जैसे वह ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ साधरणयता बनाए रखता। [स्पष्टीकरण 2–खण्ड (ग) के प्रयोजनो के लिए यदि कोई व्यक्ति–	

(i) प्रत्यक्षतः या अप्रयत्क्षतः 'अस्पृश्यता' का या किसी रुप में इसके आचरण का प्रचार करेगा, अथवा ii) किसी रुप में 'अस्पृश्यता' के आचरण को, चाहे ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक अधारों पर या जाति व्यवस्था की किसी परम्परा के आधर पर या किसी अन्य आधर पर न्यायोचित ठहराएगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह 'अस्पृश्यता' कि आचरण को उदीप्त या प्रोत्साहित करता है।, [(1 क) जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी सम्पति के विरुद्व कोई अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अध्किार, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन 'अस्पृश्यता' का अन्त करने के कारण उसे प्रोद्भूत हुआ है, प्रयोग किए जाने के प्रतिशोध के रुप में या बदला लेने की भावना से करेगा, वह, जहां अपराध दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, वहां, कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।, (2) जो कोई इस आधर पर कि ऐसे व्यक्ति ने 'अस्पृश्यता' का आचरण करने से इन्कार किया है या ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के उदेश्यों को अग्रसर करने में कोई कार्य किया है– (i) अपने समुदाय के या उसके किसी विभाग के किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अध्किार या विशेषाधिकार से वंचित करेगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे समुदाय या विभाग के सदस्य के तौर पर हकदार हो, अथवा। (ii) ऐसे व्यक्ति को जातिच्युत करने में कोई भाग लेगा, [वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा,।	
[7क (1) जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या बुहारने या कोई पशु शव हटाने या किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने कि लिए 'अस्पृश्यता' के आधार पर मजबुर करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाऐगा कि उसने फअस्पृश्यताय से	विधिवि रुद्व अनिवार्य श्रम को कब 'अस्पृश्यता' का आचरण समझा

उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है। (2) जिस किसी के बारे में उपधारा (1) के अधीन यह समझा जाता है कि उसने 'अस्पृश्यता' से उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है, वह कम से कम तीन मास और अध्कि से अध्कि छह मास की अवधि कि कारावास से और जुर्माने से भी, जो कम से कम सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रायोजनों के लिए 'मजबुर करने' के अन्तर्गत सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी भी है।]	जाएगा।
8. जब कि वह व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्व हो, किसी ऐसी वृति व्यापार, आजीविका या नियोजन के बारे में जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, कोई अनुज्ञप्ति किसी तत्समय प्रवृत विधि कि अधीन रखता हो तब उस अपराध का विधारण करने वाला न्यायालय किसी अन्य ऐसी शास्ति पर, जिससे वह व्यक्ति उस धारा के अधीन दण्डनीय हो, प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, निदेश दे सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति रद्व होगी या ऐसी कालावधि के लिए, जितनी न्यायलय ठीक समझे, निलम्बित रहेगी, और अनुज्ञप्ति को इस प्रकार से रद्व या निलम्बित करने वाले न्यायालय का प्रत्येक आदेश ऐसे प्रभावी होगा, मानो वह आदेश उस प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो किसी ऐसी विधि के अधीन अनुज्ञप्ति को रद्व या निलम्बित करने के लिय सक्षम था। स्पष्टीकरण– इस धारा में 'अस्पृश्यता' के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र या अनुज्ञा भी है।	
9. जहां कि किसी ऐसे या किसी शिक्षा सस्था या छात्रावास का प्रबन्धक या न्यासी जिसे सरकार से भूमि या धन का अनुदान प्राप्त हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्व हुआ हो और ऐसी दोषसिद्वि किसी अपील या पुनरीक्षण में उलटी या अभिखण्डित न की गई हो वहां, यदि सरकार की राय में उस मामले की परिस्थितिओं में ऐसा करने के लिए समुचित आधार हो तो वह ऐसे सारे अनुदान या उसके किसी भाग के निलम्बन या पुनर्ग्रहण के लिए निदेश दे सकेगी।	सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुर्नग्रहण या निलम्बन।
10. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा। 'स्पष्टीकरण–लोक सेवक के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण में जानबूझकर उपेक्षा करता है, यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया है।,	अपराध का दुष्प्रेरण

[10क (1) यदि विहित रीति में जांच करने के पश्चात राज्य सरकार का यह समाधन हो जाता है कि किसी क्षेत्र कि निवासी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने से सम्बन्धित हैं, या उसका दुष्प्रेरण कर रहें हैं, या ऐसे अपराध के किए जाने से संबधित व्यक्तियों को संश्रय दे रहे हैं, या अपराधी या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं, या ऐसे अपराध के किए जाने के महत्वपुर्ण साक्ष्य को दबा रहें हैं, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसुचना द्वारा, ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी और जुर्माने का ऐसे निवासियों के बीच प्रभाजन कर सकेगी जो सामूहिक रुप से ऐसा जुर्माना देने के लिए दायी हैं और यह कार्य राज्य सरकार वहां के निवासियों की व्यक्तिगत क्षमता के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार करेगी और ऐसा प्रभाजन करने में राज्य सरकार यह भी तय कर सकेगी कि एक हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब ऐसे जुर्माने के कितने भाग का संदाय करेगाः परन्तु किसी निवासी के बारे में प्रभाजित जुर्माना तब तक वसुल नहीं किया जाएंगा जब तक कि उसके द्वारा उपधरा (3) के अधीन फाइल की गई अर्जा का निपटारा नहीं कर दिया जाता। (2) उपधारा (1) के अधीन अधिसुचना की उदघोषणा ऐसे क्षेत्र में ढोल पीट कर या ऐसी अन्य रीति से की जाएगी, जिसे राज्य सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक जुर्माने का अधिरोपण सुचित करने के लिए उन परिस्थितियों में सर्वोतम समझे। (3)(क) उपधारा (1) के अधीन सामूहिक जुर्माने के अधिरोपण से या प्रभाजन के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित कालावधि के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसे वह सरकार इस निमित विनिर्दिष्ट करे, ऐसे जुर्माने से छूट पाने के लिए या प्रभोजन के आदेश में परिवर्तन के लिए अर्जी फाइल कर सकेगाः परन्तु ऐसी अर्जी फाइल करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। (ख) राज्य सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अर्जीदार को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझेः परन्तु इस धारा के अधीन छूट दी गई या कम की गई जुर्माने की रकम किसी व्यक्ति से वसूलनीय नहीं होगी और किसी क्षेत्र के निवासियों	सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

पर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित कुल जुर्माना उस विस्तार तक कम किया गया समझा जाएगा। (4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के शिकार व्यक्तियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग में नहीं आता है, उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित सामूहिक जुर्माने से या उसके किसी प्रभाग का संदाय करने के दायित्व से छूट दे सकेगी। (5) किसी व्यक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत हिन्दु अविभक्त कुटूम्ब है) संदेय सामूहिक जुर्माने का प्रभाग, न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उपबन्धित रीति में ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो ऐसे प्रभाग मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।,	
11. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का पहले दोषसिद्व हो चुकने पर किसी ऐसे अपराध या दुष्प्रेरण का पुनः दोषसिद्व होगा। [वह दोषसिद्वि पर– (क) द्वितीय अपराध के लिए, कम से कम छह मास और अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम दो सौ रुपए और अधिक से अध्कि पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, (ख) तृतीय अपराध के लिए या तृतीय अपराध के पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए, कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, जो कम से कम पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।,	पश्चात्वर्ती दोषवर्धित शास्ति।
12. जंहा कि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया जाए वहां, जब तक कि प्रतिकुल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य 'अस्पृश्यता' के आधर पर किया गया है।	कछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा।
13. (1) यदि सिविल न्यायालय के समक्ष के किसी वाद या कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त दावा या किसी डिक्री या आदेश का दिया जाना या किसी डिक्री या आदेश का पुर्णतः या भागतः निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी प्रकार प्रतिकुल हो तो ऐसा न्यायालय न ऐसा कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करेगा या चालू रखेगा और न ऐसी कोई डिक्री या आदेश देगा या ऐसी किसी डिक्री या आदेश का पुर्णतः या भागतः निष्पादन	सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा।

करेगा। (2) कोई न्यायालय किसी बात के न्यायनिर्णयन में या किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, किसी व्यक्ति पर 'अस्पृश्यता' के आधर पर कोई निर्योग्यता अधिरोपित करने वाली किसी रुढ़ि या प्रथा को मान्यता नहीं देगा।	
14. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उतरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्व कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगाः परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सव सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक या प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से किया गया हो, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, और तदनुसार अपने विरुद्व कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा। स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये– (क) 'कम्पनी' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा (ख) फर्म के सम्बन्ध में 'निदेशक' से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।	कम्पनीयों द्वारा अपराध
[14क (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्व न होगी। (2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसे नुक्सान के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपुर्वक की गई या की जाने के	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए सरंक्षण।

लिय आशयित किसी बात के कारण हुआ हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्व न होगी।,	
[15 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हर अपराध संज्ञेय होगा और ऐसे हर अपराध पर, सिवाय उसके जो कम से कम तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः विचार किया जा सकेगा। (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी लोक सेवक के बारे में यह अभिकथित है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करना तात्पर्यित करते हुए, किया है तब कोई भी न्यायालय ऐसे दुष्प्रेरण के अपराध का संज्ञान,– (क) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार की, और (ख) किसी राज्य के कार्यों सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति दशा में, उस राज्य सरकार की, पुर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।	अपराध संज्ञेय और । संक्षेपतः विचारणीय होगें।
(15) (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, राज्य सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों, कि 'अस्पृश्यता' का अन्त करने से उद्भूत होने वाले अधिकार 'अस्पृश्यता' से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध किए जाते हैं और वे उनका फायदा उठाते हैं। (2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थातः– (i) पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत 'अस्पृश्यता' से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को विधिक सहायता देना है, जिससे कि वे ऐसे अधिकारों का फायदा उठा सकें, (ii) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन कि लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या ऐसे अभियोजनों का पर्यवेक्षण करने के लिए	'अस्पृश्यता' का अन्त करने से प्रोदभूत अधिकारों का सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनि चत करने का राज्य सरकार का कर्तव्य ।

अधिकारियों की नियुक्ति, (iii) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिय विशेष न्यायालयों की स्थापना, (iv) ऐसे समुचित स्तरों पर समितियों की स्थापना जो राज्य सरकार ऐसे उपायों के निरुपण या उन्हें कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे, (v) इस अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर कार्यान्वन के लिए उपाय सुझाने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण के सर्वेक्षण की समय–समय पर, व्यवस्था करना, (vi) उन क्षेत्राों का अभिनिर्धरण जहां व्यक्ति फ्अस्पृश्यताय् से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित है, और ऐसे उपायों को अपनाना जिनसे ऐसे क्षेत्राों से ऐसी निर्योग्यता का दूर किया जाना सुनिश्चित हो सके। (3) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए उपायों में समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसे कदम उठाएगी जो आवश्यक हों। (4) केन्द्रीय सरकार हर वर्ष संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर ऐसे उपायों की रिर्पोट प्रस्तुत करेगी जो उसने और राज्य सरकारों ने इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में किए हैं।,	
16. इस अधिनियम में अधिव्यक्त रुप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी तत्समय प्रवृत विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी या किसी रुढ़ि या प्रथा अथवा किसी ऐसी विधि अथवा किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश के आधार पर प्रभावी किसी लिखत के होते हुए भी प्रभावी होंगे।	अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा ।
16क अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगें, जो चौदह वर्ष से अधिक आयु का है और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का दोषी पाया जाता है।	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का चौदह वर्श से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू

	न होना
16ख (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी। (2) और इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाय जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अध्कि आनुक्रमिक सत्रों में पुरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, या पुर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र अवसान के पुर्व दोनों सदन उस नियम में काई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पुर्व दोनों सदन सहमत हो जांए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निश्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा।,	नियम बनाने की शक्ति।
17. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, जहां तक कि वे या उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से कोई इस अधिनियम या उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के समान है या उसके विरुद्व है एतद्द्वारा निरसित की जाती है।	निरसन